कार्यपालक अभियंता(यॉ0) का कार्यालय
क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर

Email ID- mech.bhagalpur812003@gmail.com

भाड़े पर वाहन लेने हेतु अति अल्पकालीन पुर्नकोटेशन आमंत्रण सूचना (NIQ)

सं०–01/2026–27

पत्रांकः– 318 भागलपुर/दिनांकः– 09.04.26

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर के कार्यक्षेत्र अन्तर्गत स्थल निरीक्षण तथा अन्य सरकारी कार्यो के निष्पादन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 के दौरान 01 (एक) अद्‌द स्कॉर्पियों (चालक सहित) एवं 01 (एक) अद्‌द स्कॉर्पियों/बोलेरो (चालक सहित) गाड़ी आपूर्ति हेतु निम्नांकित शर्तो के अधीन इच्छुक वाहन मालिकों/फर्मो से कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

01. कोटेशन आमंत्रण की तिथि :– दिनांक 09.04.2026
02. कोटेशन प्राप्ति की तिथि एवं समय :– दिनांक 18.04.2026 को पूर्वाह्न 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक
03. कोटेशन प्राप्ति का स्थान :– क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर
04. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक–18.04.2026 को अपराह्न 3.30 बजे
05. विज्ञापनदाता का नाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर

<u>कोटेशन की तकनीकी शर्ते</u>

01. वाहन का वैध वाणिज्यिक निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन प्रदूषण प्रमाण पत्र (पी०यू०सी०) अद्यतन रोड टैक्स, अद्यतन फिटनेस प्रमाण पत्र तथा वाहन का वैध इंशयोरेंस कोटेशन के साथ समर्पित किया जाना होगा।
02. वाहन मालिक का आधार नम्बर पैन नम्बर एवं जी०एस०टी० नम्बर कोटेशन के साथ समर्पित किया जाना होगा।
03. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध व्यवसायिक ड़ाईविग लाईसेन्स होना चाहिए।
04. कोटेशनदाता को वित्तीय दर निम्नांकित प्रपत्र में उद्धरित करना होगाः–

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	ईधन रहित मासिक भाड़ा का दर (सभी करो यथा जी०एस०टी०, आई०टी० सहित)
01	स्कॉर्पियों (चालक सहित)	
02	स्कॉर्पियों/बोलेरो (चालक सहित)	

09/04/26
(ई0 अभिषेक कुमार)
कार्यपालक अभियंता
क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर
09.04.26

नियम एवं शर्ते

01. भाड़े पर वाहन एकरारनामा तिथि से दिनांक–31.03.2027 तक रखने के लिए एकरारनामा किया जाएगा तथा संतोषजनक सेवा रहने पर अगले एक साल के लिए एकरारित दर पर ही अवधि विस्तार किया जा सकता है।
02. वाहन का मॉडल 2020 के पूर्व का नही होना चाहिए एवं वाहन अच्छे हालत में हाना चाहिए।
03. वाहन मालिक / फर्म का वैध पैन एवं जी०एस०टी० नम्बर होना चाहिए।
04. वाहन प्रदाता के फर्म होने की स्थिति में यह मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य सुसंगत अधिनियम के अंतर्गत निबंधित होना चाहिए।
05. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) दैनिक साफ सफाई एवं सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया आदि उपलब्ध कराना इत्यादि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक / फर्म की होगी।
06. वाहन चालन का मानदेय, भुगतान, आवासन एवं भोजन आदि का व्यवस्था वाहन मालिक / फर्म की होगी।
07. वाहन का वैध प्रमाण पत्र, प्रदुषण प्रमाण पत्र (पी०यू०सी०) रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र तथा इंश्योरेन्स आदि मोटर अधिनियम के अनुसार अद्यतन रखने की जिम्मेवारी वाहन मालिक / फर्म की होगी।
08. नियमानुकुल सभी प्रकार के करों एवं अन्य शुल्क अदेयता की जिम्मेवारी वाहन मालिक / फर्म की होगी।
09. वाहन चालक के पास अद्यतन एवं वैध ड्राइविंग लाईसेन्स होना चाहिए।
10. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर चालक सहित जिम्मेवारी वाहन मालिक / फर्म का होगा।
11. वाहन के उपयोग के विरूद्ध मात्र मासिक किराया (ईंधन रहित) देय होगा।
12. वाहन के उपयोग के लिए लॉगबुक का संधारण वाहन मालिक की जबाबदेही होगी, जिसका उपयोग करने वाले पदाधिकारी यात्रा प्रयोग संबंधी आवश्यक प्रविष्टि करेंगे, जिसके आधार पर वाहन का मासिक किराया ईंधन रहित भुगतान किया जायेगा।
13. मासिक न्यूनतम दर जिलाधिकारी, भागलपुर के पत्रांक–845, दिनांक–06.10.2025 द्वारा स्वीकृत दर के बराबर या न्यूनतम उद्धृत दर के वैध कोटेशनदाता के साथ रू० 1000.00 (एक हजार) मात्र के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जायेगा और उन्हे वाहन उपलब्ध कराने का आदेश दिया जायेगा।
14. आवश्यकतानुसार वाहन का उपयोग दिन एवं रात्रि में किया जा सकता है। इस हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क / किराया का दावा मान्य नही होगा।
15. वाहन का उपयोग वाहन मालिक / फर्म द्वारा निजी या अन्य व्यावसायिक कायों में नहीं किया जायेगा।
16. वाहन का उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के कार्यालय परिसर से बाहर नही जायेगा।
17. वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक / फर्म का दायित्व होगा कि वे तुरंत दुसरा वाहन उपलब्ध करायेंगें, अगर वे ऐसा नही करते है तो उस दिन का भाडे का भुगतान दो गुणे दर से कटौती कर ली जायेगी।
18. वाहन का माईलेज वास्तविक रूप से डाले गये डीजल अथवा 10 कि० मी० प्रति लीटर में से जो भी अधिक हो मान्य होगा।

19. आमंत्रित कोटेशन को बिना बताये रद्द या अस्वीकार किये जाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

20. संबंधित मद में आवंटन उपलब्ध उपलब्ध रहने की स्थिति में ही भुगतान का दावा मान्य होगा।

21. वाहन मालिक/फर्म का जी०एस०टी० नम्बर चालू हालत (एक्टिव) रहने की स्थिति में ही भुगतान किया जायेगा।

22. नियमानुसार जी०एस०टी० एवं इनकॉम टैक्स की कटौती भुगतान की जाने वाली राशि से कर ली जायेगी।

23. इच्छुक वाहन की मालिक/फर्म उक्त क्रमांक 01 से 21 तक शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 03,04,07 एवं 09 से संबंधित कागजातों की सत्यापित प्रति के साथ निर्धारित प्रपत्र में अपना कोटेशन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में समर्पित करेंगें।

24. कोटेशन खोलने की निर्धारित तिथि को कोटेशन खोले जाने के समय वाहन मालिक/फर्म या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनका कोई दावा मान्य नही होगा।

25. सभी वांछित कागजात सहित पाये जाने पर एवं एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 18.04.2026 को अपराह्न 03.30 बजे वैद्य कोटेशन दाता के बीच लौटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जायेगा। वाहन मालिक/फर्म या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति/अनुपस्थिति में लौटरी किया जायेगा/इस संबंध में बाद में कोई भी दावा मान्य नही होगा।

26. कोटेशन के अन्तर्गत वाणिज्यिक/व्यावसायिक पंजीकरण वाहन धारी को प्राथमिकता दी जायेगी।

विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय अवधि में अधोहस्ताक्षरी अथवा कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

09/04/26

कार्यपालक अभियंता

क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर

09.04.26

पत्रांक :– 318 भागलपुर/ दिनांक :– 09.04.26

प्रतिलिपिः– सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। अनुरोध है कि उपरोक्त निविदा का प्रकाशन किसी दैनिक समाचार पत्र में कराने की कृपा की जाय।

09/04/26

कार्यपालक अभियंता

क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर

09.04.26